

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-46/ix-1/2017/109(2013)
देहरादून दिनांक 12 जनवरी, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 43 सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 42 के उपनियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित उप संभागीय परिवहन कार्यालयों को उनके सम्मुख अंकित अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची


क्रमांक	उप संभागीय परिवहन कार्यालय	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
1.	रामनगर	यू0के0एस0
2.	रानीखेत	यू0के0टी0

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव ।

संख्या- (1)/ ix-1/2017/109(2013)-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, मा0परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- समस्त राज्यों के परिवहन आयुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।
- 4- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।